

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

विषय: झारखण्ड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन छात्रावास निर्माण, संचालन एवं प्रबंधन हेतु गठित झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक छात्रावास पोषण योजना, 2024 में संशोधन के संबंध में।

विभागीय संकल्प सं०-671, दिनांक 11.03.2024 द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के नियंत्रणाधीन छात्रावास निर्माण संचालन एवं प्रबंधन हेतु झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक छात्रावास पोषण योजना, 2024 का गठन किया है।

2. उक्त योजना अन्तर्गत छात्रावासों का संचालन/प्रबंधन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाना है। समीक्षा उपरांत उक्त योजना अन्तर्गत छात्रावासों का संचालन/प्रबंधन हेतु विकल्पों की उपलब्धता को विस्तारित किये जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है।
3. उक्त योजना अन्तर्गत छात्रावासों के संचालन/प्रबंधन हेतु और अधिक विकल्प उपलब्ध हों, इसके लिये विभागीय संकल्प सं०-671, दिनांक 11.03.2024 की कण्डिका-3.14 अन्तर्गत अंकित "गैर सरकारी संस्थाओं"/"गैर सरकारी संस्था"/"गैर सरकारी संस्थान"/"संस्थान" को "गैर सरकारी संस्था (सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम 1860)/कम्पनीज़ एक्ट 2013/इण्डियन ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत सृजित स्वयं सहायता समूह" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
4. उक्त पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 06.09.2024 को संपन्न बैठक में मद सं०-02 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-10/छा०स्थापना (नियमावली)-01/2022 - 2568

राँची, दिनांक 20/09/2024

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-10/छा०स्थापना (नियमावली)-01/2022 - 2568

राँची, दिनांक 26/09/2024

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-10/छा०स्थापना (नियमावली)-01/2022 - 2568

राँची, दिनांक 20/09/2024

प्रतिलिपि:- उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/आदिवासी कल्याण आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी उप विकास आयुक्त/सभी उप निदेशक, कल्याण/सभी परियोजना निदेशक, ITDA/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी विशिष्ट पदाधिकारी, पहाड़िया कल्याण, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-10/छा०स्थापना (नियमावली)-01/2022 - 2568

राँची, दिनांक 20/09/2024

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची/विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई-गजेट को इसे झारखण्ड गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव।